I/137825/2023

संख्या– 883 /XLI-A/2023–17/21/E- 41032

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर, गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक 19 जुलाई, 2023

विषयः– विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में एप्रोच रोड़ के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में शासनादेश सं. 1411/XLI-A/2022-32/20 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कतिपय राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं (राजकीय पालीटेक्निक, भीमताल, पाबौ, मूनाकोट, जखोली एवं जैंती) में एप्रोच रोड़ के निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था (उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम) द्वारा टी.ए.सी. के परीक्षणोपरांत प्रस्तुत आगणनों (क्रमशः 52.87 लाख, रू. 70.79 लाख, 76.13 लाख, रू. 75.18 लाख एवं रू. 30.66 लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण में कुल धनराशि रू. 195.62 लाख (रू. एक करोड़ पिच्चानवे लाख बासठ हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/9(150)–2019/XXVII(I)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं निदेशालय के पत्र सं. 1898/नि.प्रा.शि./एप्रोच रोड़/2023–24 दिनांक 02.06.2023 एवं पत्र सं. 3207/नि.प्रा.शि./एप्रोच रोड/2023–24 दिनांक 10.07.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2023–24 में **विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं (राजकीय पालीटेक्निक, भीमताल, पाबौ, मूनाकोट एवं जखोली) में एप्रोच रोड़ के निर्माण कार्यों** हेतु स्वीकृत आगणन के सापेक्ष **द्वितीय किश्त के रूप में संलग्नक–1 के अनुसार कुल धनराशि रू. 110.01 लाख (रू. एक करोड़ दस लाख एक हजार मात्र)** को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
5. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है।

स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
8. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
11. कार्य करने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा–संशोधित) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान संख्या–11 के अंतर्गत ''लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प –16–पालिटेक्निकों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण–53–वृहद् निर्माण कार्य' मद के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक–2 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2023 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Raman Ravinath
Date: 13-07-2023 18:52:25

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. महाप्रबन्धक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण लि0 देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Shriprakash Tiwari
Date: 14-07-2023 18:17:13

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

I/137825/2023

तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 883 /XLI-A/2023–17/21 दिनांक 19 जुलाई, 2023 का संलग्नक–01

धनराशि लाख में

क्र. सं.	कार्य का विवरण	शासन द्वारा स्वीकृत आगणन/लागत	प्रथम चरण में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय चरण में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	रा0पा0 भीमताल में अप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य।	52.87	31.72	21.15
2	रा0पा0 पाबौ में अप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य।	70.79	42.47	28.32
3	रा0पा0 मूनाकोट में अप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य।	76.13	45.67	30.46
4	रा0पा0 जखोली में अप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य।	75.18	45.10	30.08
कुल योग		**274.97** लाख	**164.96** लाख (रू. एक करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार मात्र)	**110.01** लाख (रू. एक करोड़ दस लाख एक हजार मात्र)

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।